न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :–293/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :–2022/382

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोहम्मद हुसैन उम्र 33 वर्ष, जाति–तेली मुसलमान पुत्र मो. रमजान। 2. मोहम्मल अली उम्र 30 वर्ष जाति तेली मुसलमान पुत्र मो. रमजान। 3. मोहम्मद युसुफ शराफत अली उम्र 26 वर्ष जाति तेली मुसलमान पुत्र मो. रमजान 4. मोहम्मद रमजान उम्र 66 वर्ष जाति तेली मुसलमान पुत्र नवीबक्ष। 5. मोहम्मद आसीफ उम्र 18 वर्ष जाति तेली मुसलमान पुत्र मोहम्मद नजीर तमाम निवासीगण वन विभाग के पास, वार्ड नं0–14, नागौर		तहसीलदार नागौर।

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत व श्री श्याम सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :–13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2022 सरकार बनाम मो. हुसेन में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को पारित किया गया था, जिसकी नकल हेतु अपीलान्ट ने दिनांक 12.08.2022 को आवेदन लगाया तथा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित नकल अपीलान्ट को दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन निर्णय की नकल मिलने में जो दिन का समय लगा वह समय मयाद में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार अपील अन्दर मयाद पेश है। फिर भी अपील की देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर ने अपीलान्ट्स को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भेजा जिसमे खसरा नम्बर 592/906 रकबा 4900 वर्गफीट किस्म गैर मुमकीन अंगोर भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमी होने का नोटिस दिया जिस पर अपीलान्ट्स ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उक्त नोटिस का जवाब पेश किया। जवाब पेश करने के बाद अपीलान्ट्स को न तो साक्ष्य पेश करने का एवं ना ही सबूत पेश करने का अवसर दिया गया हैं। अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा निर्णय दिया। अपीलान्ट्स को सुनवाई किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिए जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध, अवैध व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित पारित होने से अपास्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स के कब्जे स्वामित्व की भूमि है जिस पर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पिछले पचास से भी ज्यादा समय से अपीलान्ट्स का कब्जा रहवास, निवास चला आ रहा है। अपीलान्ट्स के बडेरो के समय से कब्जा बतौर स्वामी की हैसियत से चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि कभी भी सरकारी भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट्स के रहवासी पक्के मकान पिछले पचास से भी ज्यादा सालो से बने हुए है। अपीलान्ट्स की मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड अन्य दस्तावेज इस जगह के बने हुए है। अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है बल्कि इस भूमि के नियमन के पात्र हैं जिसकी कार्यवाही नगरपरिषद् नागौर से की जानी हैं।

अपीलान्ट्स के मकानो में बिजली व पानी के कनेक्शन लिए हुए है। अपीलान्ट्स के मकान आबाद मोहल्ले के बीच आए हुए है और अपीलान्ट्स के मकान के चारो ओर सैकड़ो पक्के मकान बने हुए है। पूरा मोहल्ला बसा हुआ है तथा सरकार की तरफ से सड़के बिछाई हुई है, बिजली व पानी की लाइने डाली जाकर पूरे मोहल्ले के घरो में पानी बिजली कनेक्शन दिए हुए है। एक तरफ सरकार वादग्रस्त भूमि पर सड़के बिछा रही है तथा बिजली पानी के कनेक्शन दिए है, कईयो के नाम नगरपरिषद से पट्टे भी जारी हुए है दूसरी तरफ सरकार धारा 91 के नोटिस दे रही है जो न्यायोचित नहीं है।

सरकारी कार्यालयो के लिए 9 बीघा भूमि आवंटित हुई है शेष भूमि कब्जाधारियो के नाम किए जाने का राजस्व मण्डल का निर्देश जारी है। पूर्व में भी अपीलान्ट्स और उनके पूर्वजो तथा मोहल्लेवासियो के विरूद्ध आज से लगभग तीस साल पहले नोटिस दिए गए जो नोटिस अपीलेट न्यायालयो द्वारा निरस्त किए गए तब से उसके बाद कभी धारा 91 की कार्यवाही नहीं की गई। अब वर्षो बाद गलत नोटिस दिया गया है।

अपीलान्ट्स गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति है जिन्होने अपनी जिंदगी की गाढी कमाई के एक एक पैसा मकान में लगाया है यदि बेदखली हुई तो अपीलान्ट्स के साथ भारी अन्याय होगा। इस भूमि के अलावा अपीलान्ट्स के पास अन्य आवासीय भूमि नहीं है,सरकार यानि एस.डी.ओ. द्वारा अपीलान्ट्स को भूमि रूपान्तरण के नोटिस भी जारी किए गए जिसकी पालना में अपीलान्ट्स ने राशि भी सरकार में जमा कराई, भूमि रूपान्तरण का उक्त मामला आज भी विचाराधीन है। भूमि अपीलान्ट्स के स्वामित्व की है अन्यथा भी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओ, परिपत्रो व नियमो के आधार पर भी अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि अपने नाम नियमन कराने के हकदार है।

वादग्रस्त भूमि कभी भी सरकारी या किसी अन्य किस्म की भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि में से 9 बीघा भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित भूमि है। शेष संपूर्ण भूमि पर आबादी है और सैकड़ों रहवासी मकानो के साथ पूरा मोहल्ला बसा हुआ है जिसमे अपीलान्ट्स के मकान भी है। सन् 1989 व 1994 में धारा 91 की अपीलान्ट्स व अन्यो द्वारा अपीले करने पर माननीय राजस्व मण्डल ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस व उसमे पारित अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त कर राजकीय कार्यालयो के लिए आरक्षित नौ बीघा भूमि के अलावा शेष भूमि पर कब्जो को रूपान्तरण लायक मानते हुए निर्णय पारित किए थे। राजस्व मण्डल के वे निर्णय अंतिम हो गए तथा उन निर्णयो को सरकार द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई और न उन निर्णयो की पालना की गई। अब तीस साल बाद पुनः नए सिरे से नोटिस देना अपने आप में अवैध और विधि विरूद्ध है।

वादग्रस्त भूमि नगरपरिषद नागौर की परिधि में है और नगरपरिषद के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण तहसीलदार जी नागौर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अतंर्गत कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार नहीं है। नगरपरिषद नागौर ने कभी भी अपीलान्ट्स को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के अतिक्रमी नहीं है। सभी अपीलान्ट्स के अलग अलग मकान व भूमि है मगर सभी अपीलान्ट्स को एक ही प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया गया है जो विधिमान्य नहीं है और प्राकृतिक न्याय के विपरित होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को खारिज व अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया। अपीलान्ट्स द्वारा खसरा नम्बर 592/906 किस्म गैर मुमकिन अंगोर की 4900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिकमण करने की पटवारी नागौर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके कम में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही व उचित है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ खसरा परिवर्तनशील वर्ष 1984–85 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें भी उक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बर 592/906 की किस्म गै.मु. अंगोर होना

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

बताया गया है। अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में भी निवेदन किया है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा गै.मु. अंगोर भूमि का नियमन करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देश प्रस्तुत नहीं किये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 की भूमि है, जिसकी किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज है, जिसका किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का अंगोर किस्म की भूमि पर कब्जा किसी भी प्रकार से वैध नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 किस्म गैर मुमकिन अंगोर की 4900 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी नागौर व भू–अभिलेख निरीक्षक नागौर द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध के धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया गया हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है। जिससे यह प्रकट हैं कि अपीलांट को प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया हैं। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ खसरा परिवर्तनशील वर्ष 1984–85 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें भी उक्त प्रश्नगत खसरा नम्बर 592/906 की किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज हैं। अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में भी निवेदन किया है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा गै.मु. अंगोर भूमि का नियमन करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देश प्रस्तुत नहीं किये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 की भूमि है, जिसकी किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज है, गै0मु0 अंगोर भूमि का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का अंगोर किस्म की भूमि पर कब्जा किसी भी प्रकार से विधिवत एवं वैध नहीं होने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निणय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)